न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

दायर दिनांकः 09.7.2020

ना–पत्र संख्या :–62 / 2020

MS NO:- 2020/00103

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

रामसहाय पुत्र कल्याण जाति बैरवॉ नि. पीपल्या तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 11)

– प्रार्थीगण

बनाम

देवकिशन पुत्र रामा जाति बैरवॉ नि. पीपल्या तहसील नैनवॉ वगै0। (कुल 8)

–प्रत्यार्थीगण

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम नागर।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 20.06.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की भूमि ग्राम पीपल्या मे खसरा नम्बर 501, 503, 513, 541, 502 स्थित है जिसमे बरसों पुराना एक रास्ता ग्राम पीपल्या से बडा गेला का रास्ता से दक्षिणी ओर खसरा नम्बर 514, 500, 513, 503 के बीच की मेर पर होकर खसरा नम्बर 501, 503 के पश्चिमी मेर पर होकर चाह संख्या 502 पर आने जाने का 12 फीट पुराना रास्ता बना हुआ है जिसे परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाया हुआ है। उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड मे 15 फीट चौडा किया जावे।

यह कि प्रत्यार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने अवैद्य व अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण का परिशिष्ट अ मे लाल स्याही से दर्शाये गए रास्ते को नष्ट भ्रष्ट करने की धमकियां देते है। रास्ता को सकडा करने प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की भूमि मे आने जाने से मना करने की धमकियां देते है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि मे आने जाने का रास्ता प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 मे वर्णित रास्ता परिशिष्ट अ को 12 फीट से चौडा कर 15 फीट राजस्व रिकॉर्ड मे किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। हमने प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजों का अद्योपान्त अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण द्वारा जिस खसरा नम्बर 501, 503, 513, 541, 502 पर जाने के लिए रास्ता चाहा गया है, वह शामलाती खाते की भूमि है जिसका विधिवत रूप से विभाजन नही हुआ है तथा बिना विभाजन इस पत्रावली मे धारा 251क के तहत् रास्ता दिया जाना न्यायोचित अथवा विधि सम्मत नही है अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ